FROM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

..ज अदालत ....मुकाम...

...................मो.अयुब पिता शमसुदीन अंसारी .... बनाम सुगनलाल पिता घीसा ओड
करम मुकद्मा..नं0........67 / 2016.......सन...........................

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारि अहकाम जो इस हुक्म की तारीख मे जा हुए ।
31.1.2017	पत्रावली आज पेश की गई । वकील प्रार्थी उपस्थित , इस पत्थरगढी की पत्रावली में न्यायालय द्वारा दिनांक 25.6.2016 को प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य पत्थरगढी कराये जाने का आदेश न्यायालय द्वारा तहसीलदार बेगूँ को दिया जा चुका है। उक्त आदेश की पालना में इस न्यायालय से जरिये क्रमांक 169 दिनांक 25.6.2016 से लिखा जाकर पत्थरगढी प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य करने का लिखा गया है। पत्थरगढी आदेश जारी करने का कर्तव्य न्यायालय का है तथा उक्त आदेश की पालना तहसीलदार बेगूँ कर पक्षकारान को सूचित करावें । आराजी की पत्थरगढी जो की गई है ,उसकी रिपोर्ट भी सम्बन्धित पक्षकारान तहसीलदार बेगूँ को से ही प्राप्त करें। इस पत्रावली में आदेश होने के पश्चात अब कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं होने से पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें। (ज्ञानमल खटीक) उपखण्ड अधिकारी,बेगूँ	